Journal of Advances in Developmental Research (IJAIDR)

E-ISSN: 0976-4844 ● Website: www.ijaidr.com ● Email: editor@ijaidr.com

भारत और सतत विकास लक्ष्य: चुनौतियां और संभावनाएं

डॉ. अनीता भट्ट

सहायक आचार्या
दिल्ली विश्वविद्यालय

शोध सार :
सतत विकास से तात्पर्य एक ऐसे विकास से है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसके अंतर्गत तीन आयाम सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप से समाविष्ट करना है। इसे स्थिरता के तीन स्तंभों के रूप में भी जाना जाता है। सतत विकास को प्राप्त करने के अपने प्रयासों में विश्व अर्थव्यवस्थाएं भी एकजुट हो गई हैं। अतः वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में भारत सहित 193 देशों ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा पर घोषणा पर हस्ताक्षर किए थें, जिसमें 17 सतत विकास लक्ष्य तथा 169 उद्देश्यों को स्वीकृत किया गया हैं। जहां एक ओर इन लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत वचनबद्ध है, वहीं दूसरी ओर उल्लेखनीय योजनाओं के बावजूद एजेंडा 2030 में निर्धारित किए गए लक्ष्य के संबंध में भारत की प्रगति असंतोषजनक रही है। भारत मुख्य रूप से भूखमरी को ख़त्म करने और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके अतिरिक्त, लैंगिक समानता, लचीला बुनियादी ढांचे का निर्माण, सतत औद्योगीकरण और नवाचार की अनुपस्थिति कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया सूचकांक के अनुसार हिंदी भाषी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और झारखंड जबकि पूर्वी राज्यों में शामिल असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के बीच व्यापक क्षेत्रीय असमानता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क (एसडीएसएन) द्वारा जारी 'सतत विकास रिपोर्ट 2021 के छठे संस्करण के अनुसार, भारत 17 सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में 2020 की 117वीं रैंक से तीन पायदान नीचे 2021 में 120वें स्थान पर आ गया है। यह लेख सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत के समक्ष विकास से जुड़ी चुनौतियों को समझने का प्रयास करता है एवं उन्हें दूर करने के लिए सुझाव प्रदान करता है।

सूचक शब्द: सतत विकास, संयुक्त राष्ट्र, नीति आयोग

प्रस्तावना
वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में '2030 सतत विकास हेतु एजेंडा'के तहत 193 सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्य तथा 169 प्रयोजन को अंगीकृत किया गया था, किन्तु एजेंडा 2030 का कार्यान्वयन 1 जनवरी 2016 से प्रवृत्त हुआ है। जिसके अधीन विभिन्न देशों की सरकारों और हितधारकों ने मिलकर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगामी 15 वर्षों के लिए सतत विकास की दिशा में वैश्विक मार्ग को अपनाया है। भारत भी इन देशों में एक है। इस प्रकार, इस दिशा में सरकार ने एसडीजी लक्ष्य के विकास के लिए विभिन्न नीतिगत पहल और कार्यक्रमों के द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई सक्रिय कदम उठाए है। सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को पूर्ववर्ती सहस्राब्दी विकास लक्ष्य के वैश्विक विकास एजेंडा के रूप में विकसित किया गया था। अतेव, एसडीजी न केवल सहस्राब्दि विकास लक्ष्य की निरंतरता है बल्कि इसका विस्तार रूप है। संयुक्त राष्ट्र का एक दस्तावेज 'ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड: द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट', संबद्ध लक्ष्य को सामने रखता है जो विकास के लिए सार्वभौमिक, एकीकृत और अविभाज्य हैं। वैश्विक स्तर पर, एसडीजी की प्रगति की निगरानी और समीक्षा के लिए 300 विभिन्न वैश्विक संकेतकों को चिन्हित किया गया। यद्यपि,राष्ट्रीय सरकारें एसडीजी को लागू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं थीं, तथापि, उनसे 2030 तक वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए स्वामित्व लेने और एसडीजी को अपने राष्ट्रीय नीति ढांचे के साथ एकीकृत करने की अपेक्षा की गई थी। संक्षेप में, इस एजेंडा का मूल मंत्र है: '**कोई पीछे न छूटे**' जोकि 2030 के लिए यह सार्वभौमिकता का सिद्धांत है।

भारत की अग्रणी भूमिका
भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सतत विकास लक्ष्य पर सहमति व्यक्त की गई थी। भारत ने सतत विकास के माध्यम से देश में सभी आयामों पर विशेष ध्यान देते हुए गरीबी समाप्त करने, भुखमरी का अंत करने, लैंगिक समानता, शिक्षा, आर्थिक

विकास, संवहनीय स्वास्थ्य व तन्दुरूस्ती, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ ऊर्जा, अवस्थापना विकास, समाज के सभी वर्गों में शांति और न्याय की व्यवस्था और पर्यावरणीय स्थिरता से संबंधित मुद्दों के प्रति वचनबद्ध है। भारत अपनी आजादी के गौरवशाली 75वें वर्षगांठ में प्रवेश कर रहा है और यहां से आजादी के 100 वर्षों तक का सफर भारत के सृजन का अमृतकाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने '**आजादी के अमृत महोत्सव**' के स्वर्णिम भारत के उद्घाटन पर संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि "**सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबके प्रयास**"से इन लक्ष्य को हासिल करना है। साथ ही, यह लक्ष्य हमारे जीवन को निर्धारित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं की हमारी उभरती समझ को दर्शाते हैं। इस दिशा में, भारत के राष्ट्रीय विकास लक्ष्य और इसकी समावेशी विकास के लिए यह नीतिगत पहल जोकि एसडीजी के साथ भली भांती से अभिसरण करती हैं। जहाँ भारत वैश्विक स्तर पर एसडीजी की सफलता निर्धारित करने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है।

17 सतत विकास लक्ष्य

- लक्ष्य 1: गरीबी का हर रूप में हर जगह उन्मूलन।
- लक्ष्य 2: भुखमरी का अंत, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण तथा सतत कृषि को प्रोत्साहन।
- लक्ष्य 3: उत्तम स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों की खुशहाली को प्रोत्साहन।
- लक्ष्य 4: समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सबके लिये आजीवन सीखने के अवसरों को प्रोत्साहन।
- लक्ष्य 5: लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त करना।
- लक्ष्य 6: सबके लिये जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना।
- लक्ष्य 7 : सस्ती, विश्वसनीय, सतत और आधुनिक ऊर्जा सुलभता सुनिश्चित करना।
- लक्ष्य 8: निरंतर, समावेशी औऱ सतत आर्थिक वृद्धि, सबके लिये पूर्ण और उत्पादक रोज़गार एवं उत्कृष्ट कार्य।
- लक्ष्य 9: मज़बूत बुनियादी सुविधाओं का निर्माण, समावेशी और सतत औद्योगीकरण को प्रोत्साहन तथा नवाचार को संरक्षण।
- लक्ष्य 10: विभिन्न देशों की आंतरिक व उनके बीच असमानताएँ कम करना।
- लक्ष्य 11: शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी सुरक्षित, लचीला और संवहनीय बनाना।
- लक्ष्य 12: संवहनीय उपभोग और उत्पादन के पैटर्न को सुनिश्चित करना।
- लक्ष्य 13: जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों का सामना करने के लिये तत्काल कार्रवाई करना ।
- लक्ष्य 14: सतत विकास हेतु महासागरों, सागरों और समुद्री संसाधनों का संवहनीय एवं संरक्षित उपयोग।
- लक्ष्य 15: सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना।
- लक्ष्य 16: सतत विकास के लिये शांतिपूर्ण एवं समावेशी समाजों को प्रोत्साहन, सभी के लिये न्याय सुलभ कराना और प्रत्येक स्तर पर प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं की रचना करना।
- लक्ष्य 17: क्रियान्वयन के साधनों को सुदृढ़ करना और सतत विकास के लिये वैश्विक साझेदारी को नई शक्ति प्रदान करना।

Journal of Advances in Developmental Research (IJAIDR)

E-ISSN: 0976-4844 ● Website: www.ijaidr.com ● Email: editor@ijaidr.com

एजेंडा 2030 के सन्दर्भ में भारत की प्रगति

भारत पिछले कई दशकों से कई प्रगतिशील कार्यक्रम और इसी तरह के अन्य योजनाएं के माध्यम से सतत विकास के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हैं। जिसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास के मूलभूत सिद्धांतों को अपनी विभिन्न विकास नीतियों में शामिल करता रहा है। भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन एवं निर्धन वर्ग के लोगों के कल्याण एजेंडा 2030 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम उल्लेखनीय है। इसी तरह की कई अन्य योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा कार्यान्वित सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप हैं, उदाहरणार्थ स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया। इनमें से कई कार्यक्रमों में राज्य और स्थानीय सरकारें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत इस प्रकार की योजनाओं के द्वारा अपने 2030 सतत विकास लक्ष्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। इस प्रकार से, 2030 तक के लिए सतत विकास के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को मापने के लिए एक व्यापक क्रियाविधि निर्धारित करता है। जोकि केंद्र सरकार द्वारा दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम को एक नीतिगत पहल के रूप में शामिल किया गया है। एसडीजी इंडिया सूचकांक देश में एसडीजी से जुड़ी उन्नति पर निगरानी का मुख्य स्रोत बन गया है।

सतत विकास के लिए नीतिगत पहल[1]

- स्वच्छ भारत मिशन
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- स्मार्ट सिटीज
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
- प्रधानमंत्री जन धन योजना
- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
- स्किल इंडिया
- मेक इन इंडिया
- नमामि गंगे मिशन
- डिजिटल इंडिया
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

भारत में एसडीजीएस पर राष्ट्रीय कार्रवाई

भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक नीति आयोग को एसडीजी के समन्वय का कार्य सौंपा गया है। जोकि दिशात्मक और नीति निविष्टियां प्रदान कर लक्ष्य के कार्यान्वयन और उनकी पर्यवेक्षण के लिए दृढ़ता से वचनबद्ध है। सरकार ने न केवल एसडीजी को अपने राष्ट्रीय विकास एजेंडा के साथ संरेखित करने का प्रयास किया बल्कि दृश्य बोध, रणनीति और कार्य एजेंडा जैसे प्रमुख नीति दस्तावेजों को भी प्रकाशित किया है। इन रिपोर्ट में, नीति आयोग एसडीजी लक्ष्य के विकास के लिए कार्यक्रमों को योजनाबद्ध करने के अलावा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। विशेषत: भारत में यूनाइटेड नेशन्स रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर ऑफिस (United Nations Resident Coordinator Office) के सहयोग से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा सूचकांक इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड विकसित किया गया है, जो राष्ट्रीय संकेतक ढांचे (National Indicator Framework) के अनुसार एसडीजी संकेतकों पर एक एकीकृत डेटा भंडार है। सतत विकास लक्ष्य के इस सूचकांक (एसडीजी) में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। डैशबोर्ड राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विभिन्न एसडीजी लक्ष्य के लिए विकास संकेतकों के एक चयनित सूचक पर उन्हें रैंकिंग के द्वारा उनकी उपलब्धियों को मापता है। इसी तरह के प्रयत्न राज्य और जिला स्तर पर भी किए जा रहे हैं। इस प्रकार से, इंडेक्स 17 एसडीजी और 169 लक्ष्य के ढांचे पर आधारित है।

फलतः, नीति आयोग ने दिसंबर 2018 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट और एक डैशबोर्ड के प्रथम संस्करण को प्रकाशित किया था। यह सूचकांक देश में एसडीजी पर प्रगति की निगरानी के लिए प्राथमिक उपकरण बन गया है और साथ ही साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। इसके अतिरिक्त, 2017-18 से 2023-24 की अवधि को शामिल करते हुए 2018 में सात साल का रणनीति दस्तावेज जारी किया गया था । ये दस्तावेज़ दीर्घकालिक दृष्टि को नीतियों में बदलने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो इन एजेंडा लक्ष्य को 2024 तक कार्यान्वयन रूप में प्राप्त करने में मदद करेगा।

वर्ष 2019-20 और 2020-21 में दो और संस्करण प्रकाशित किये गए। हाल ही में, नीति आयोग द्वारा आज एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया गया। यह संस्करण लक्ष्य और संकेतकों के व्यापक कवरेज की वजह से पिछले संस्करणों के अपेक्षाकृत अधिक व्यापक और मजबूत है। 2018 में अपने पहले संस्करण में 62 संकेतकों के साथ 13 लक्ष्य[2] का आवरण किया गया था। परंतु तीसरे संस्करण में, लक्ष्य 17 पर गुणात्मक मूल्यांकन के साथ, कुल 115 संकेतकों में 17 में से 16 एसडीजी शामिल किया गया है। इस प्रकार से, प्रत्येक सूचकांक के साथ, लक्ष्य और संकेतकों के आवृत्त क्षेत्र को और

अधिक विस्तृत करने का प्रयास किया गया है। यह रिपोर्टस दर्शाती है कि एसडीजी को लागू करने की सरकार की प्रतिबद्धता को जमीनी स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। साथ ही, इस संबंध में भारत सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण उपकरण को परिष्कृत करने की दिशा में निरंतर प्रयासों की ओर भी संकेत करता है।

एसडीजी स्कोर में भारत का प्रदर्शन

सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क (SDSN) द्वारा जारी 'सतत विकास रिपोर्ट 2021 (SDR 2021)' के छठे संस्करण के अनुसार, 165 देशों में से भारत का स्थान 120वें पर रखा गया है जबकि अन्य पड़ोसी देशों जैसेकि चीन (72.06), भूटान (69.98), मालदीव (69.27), श्रीलंका (68.10), नेपाल (66.52), म्यांमार (64.95), और बांग्लादेश (63.45) को अधिक अंक मिले है। सतत विकास में फिनलैंड का उच्चतम स्कोर 85.90 रहा है। इसके अतिरिक्त, 'सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) द्वारा जारी रिपोर्ट 'स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2022', पर्यावरण की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है कि भारत के राज्यों ने एसडीजी पर कैसा प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि 17 एसडीजी के संबंध में, यह सामने आया कि भारत का स्थान वर्ष 2020 में 115वें से फिसलकर दो पायदान नीचे वर्ष 2021 में 117वें स्थान पर आ गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत का कुल एसडीजी स्कोर 100 में से 61.9 है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इन दो साल में भारत की रैंकिंग में गिरावट के प्रमुख कारण देश में अधूरे रहने वाले प्रमुख एसडीजी है जैसे भूख को समाप्त करने और खाद्य सुरक्षा हासिल करने, लैंगिक समानता हासिल करना, लचीला बुनियादी ढांचे का निर्माण, समावेशी और टिकाऊ औद्योगीकरण को बढ़ावा देना, और नवाचार को बढ़ावा देना जैसे लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। वस्तुतः, भारत ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं जमीनी स्तर के लिए गुणवत्ता मानकों के मामले में भी खराब प्रदर्शन किया है।

चुनौतियां

भारत सरकार ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से कई सक्रिय कदम उठाए है। हालांकि, नीति आयोग और कुछ राज्यों ने नीतिगत पहल की है, लेकिन कई प्रणालीगत बाधाओं की पहचान की गई। जिसमें मुख्य रूप से शामिल हैं संस्थानों में संभावित बाधाओं को दूर करने, एसडीजी की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी और लाभों तक पहुंच से संबंधित प्रक्रियाओं जैसी कई चुनौतियां हैं। इसके अतिरिक्त, डेटा की उपलब्धता और विश्वसनीयता, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, कमजोर क्षमता और तकनीकी जानकारी, अपर्याप्त क्रियाविधि, वित्तीय अवसरों की पहचान करने के लिए संरचनाएं और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों तक पहुंच इत्यादि।

- सर्वप्रथम, एसडीजी के स्थानीयकरण के संदर्भ में, नीति और बजट बनाने, योजना, कार्यान्वयन और रणनीति की निगरानी की प्रक्रिया राज्य और स्थानीय शासन स्तर पर एसडीजी को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर रही है। इसके अलावा, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय सरकारों को निधियों, कार्यों और पदाधिकारियों का हस्तांतरण अभी भी अधिकांश राज्यों में एक दूर का सपना है। इसलिए, स्थानीय सरकारें (ग्रामीण और शहरी) लोगों की भागीदारी के माध्यम से अपने संबंधित क्षेत्रों में लोगों के लिए योजनाएं और स्थानीय बजट तैयार करने में सक्षम नहीं हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नीति आयोग एक नोडल एजेंसी होने के नाते राज्यों द्वारा स्थानीय सरकारों को 3F हस्तांतरित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है।
- दूसरे, नीति आयोग की तरह, राज्य स्तर पर भी एसडीजी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए योजना विभागों/बोर्डों नोडल एजेंसी के रूप मे बनाया गया है। किन्तु, अभी तक कई राज्य अपनी वित्तीय और मानव संसाधनों की अपर्याप्तता और उनके द्वारा अपनाई गई विकेंद्रीकृत योजना प्रक्रियाओं के कारणवश एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए तैयार नहीं हैं। इसके अतिरिक्त , स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार नीतियों को पुनः रूपरेखा बनाने और बजटीय प्रावधानों को बढ़ाने के लिए बहुत कम प्रयास किए गए हैं।
- तीसरा, मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक निर्बल प्रयास किया गया है। इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकारों की विकास नीतियों और बजट शीर्षों को एसडीजी के साथ पूरी तरह से एकीकृत नहीं किया गया है।
- चौथा, कई कारणों से राज्य और केंद्र सरकार से स्थानीय स्तर पर धनराशि जारी करने में देरी के कारण निधि प्रवाह में देरी हुई है। लाइन विभागों, पंचायती राज संस्थानों और नगर निगमों की प्रणालीगत दुर्बलता के कारण धन का खराब अवशोषण होता है। मानव संसाधन, प्रशिक्षण और क्षमता की अपर्याप्तता योजनाओं के खराब नियोजन और कार्यान्वय का कारण बन जाती है। जिसने एसडीजी के कार्यान्वयन को कमजोर किया हैं।
- पांचवां, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर विकास संकेतकों की तैयारी की कमी के कारण एसडीजी के तहत परिणामों की निगरानी प्रमुख चुनौतियों में से एक रही है।

- अंत में, केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए विकास लाभों की निगरानी और ट्रैक करने के ढांचे ने हाशिए वाले समुदायों को शामिल करने पर पर्याप्त जोर नहीं दिया, हालांकि सामाजिक समावेशन एसडीजी के तीन स्तंभों में से एक है। परन्तु स्थानीय स्तर पर एसडीजी की योजना और कार्यान्वयन में हाशिए वाले समुदायों द्वारा जागरूकता और सह-भागिता की कमी है।

इसलिए, उपर्युक्त चुनौतियों को दूर करने के लिए, एसडीजीएस पर वर्तमान पहलों की नीति डिजाइन में परिवर्तन करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

संभावनाएं

उल्लेखनीय प्रयासों के बावजूद, एजेंडा 2030 में निर्धारित लक्ष्य के संबंध में और अधिक प्रगति की अपेक्षा है। चूंकि भारत की प्रगति संतोषजनक नहीं कही जा सकती इसलिए सतत विकास लक्ष्य को विकास नीतियों में शामिल करने के लिये सरकार को अनेक मोर्चों पर कार्य करना होगा।अतएव, उपरोक्त चुनौतियों को दूर इसके लिये भारत को निम्न प्रयत्नो पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

- एसडीजी से संबंधित कार्रवाई के कार्यान्वयन, निगरानी, माप और रिपोर्टिंग के लिए एक विशेष मॉडल विकसित किया जाना चाहिए।
- सतत विकास की सफल उपलब्धि के लिए नीतिगत सामंजस्यता बढ़ाने की आवश्यकता होगी। नीति सुसंगतता नीति-निर्माताओं को यह बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है कि आज उनके नीतिगत विकल्प भविष्य की आबादी को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही, कैसे उनकी विकल्प अन्यत्र भलाई और सतत विकास पर प्रभाव डाल सकती है।
- नए संस्थान और विकास कार्यक्रम बनाना, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा संचालित संस्थानों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
- संघीय ढाँचे में सतत विकास लक्ष्य की संपूर्ण सफलता के लिये राज्यों की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण है अतः सभी राज्यों द्वारा सतत विकास लक्ष्य पर अपने दृष्टि-पत्र किया जाना चाहिए।
- यदि राज्यों से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है, तो उसे न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि राज्य और स्थानीय स्तर पर भी स्वामित्व की आवश्यकता होगी जो कि 14वें वित्त आयोग के हस्तांतरण के बाद दिया गया था।
- सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए ऐसी नीतियां बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए कि आर्थिक विकास के साथ-साथ संसाधनों की अक्षयता भी बनी रहे। विकास को अपने सभी आयामों में सभी के लिए, हर जगह समावेशी होना चाहिए। उसका निर्माण हर किसी की, विशेषकर सबसे लाचार और हाशिए पर जीते लोगों की भागीदारी से होना चाहिए।
- यूएनडीपी से संबंधित सभी कार्यक्रम तथा पहल हस्तक्षेप सतत विकास लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, 'शोध पहल'नामक एक मंच स्थापित किया जाना चाहिए ताकि सतत विकास लक्ष्य से संबंधित मुद्दों पर क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ परामर्श और विचार-विमर्श को सुविधाजनक बनाया जा सके।
- केंद्र और राज्य सरकारों को सतत विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन में आनेवाली विभिन्न चुनौतियों का मुकाबला करने के लिये मिलकर काम करने की आवश्यकता है।
- हमें स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक, निजी क्षेत्र, स्थानीय लोग और नागरिक समाज के बीच प्रभावी सहयोग की आवश्यकता है। एसडीजी को पूरा करने में नागरिक समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है क्योकि नागरिक समाज संगठन सरकारों और लोगों को जोड़ते हैं। विशेष कर के, COVID-19 महामारी ने विश्व स्तर पर अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना किया है, जिससे दुनिया भर की सरकारें संकट से जूझ रही हैं। वहीं दूसरी ओर, नागरिक समाजों ने इन मुद्दों को हल करने के लिए उस अंतर को भरने का विशाल कार्य हमेशा किया है और करता रहेगा जो अकेले सरकारों द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता था। मुख्य रूप से, अब संकट की घड़ी में उनकी अहम भूमिका की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है।
- इसके अतिरिक्त, इस तरह की प्रतिबद्धता को प्रेरित करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के प्रयासों को समझने के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागी नियंत्रण आवश्यक है, ताकि अधिक उत्तरदायी और समावेशी संस्थान तैयार किए जा सकें। विशेषत:, भागीदारी के माध्यम से नीति निर्माताओं को लोगों के जीवन को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों और कार्यक्रमों को बनाने और लागू करने में मदद करने में एक बड़ा प्रयोजन प्रदान करती है। जो, लक्ष्य 16 में निहित सार्वजनिक संस्थानों की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता को बढ़ा सकता है। एसडीजी प्राप्त करने की दिशा में, निर्णयों में व्यापक रूप से लोगों की भागीदारी, सरकारों के लिए एक "सेवा" के रूप में भी हो सकती है ताकि अधिक कुशल और प्रभावी नीतियों और कार्यक्रमों को बनाने और लागू करने में सहायक हो सके। जो एसडीजी के संकल्प "किसी को पीछे नहीं छोड़ने" और सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। हमें ऐसी प्रक्रियाएं बनाने की जरूरत है जो हर समुदायों और क्षेत्रों के स्तर पर एसडीजी के साथ सहभागिता उत्पन्न कर सके। उदाहरणार्थ, सामुदायिक आधारित शिक्षा से संबंधित गतिविधियों के कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उनके अपने जीवन के लिए, उनके परिवारों और समुदायों, राष्ट्रों के

लिए, और मानवता और समग्र रूप से जीवन के समुदाय को प्रभावित करेगा। अंततः, यदि स्थानीय लोग अपने समुदाय और क्षेत्र में एसडीजी को लागू करने की जिम्मेदारी लेंगे, तभी एजेंडा 2030 द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे। भागीदारी सभी लोगों के लिए एक अनिवार्य अधिकार है, और इसलिए, इसका आंतरिक मूल्य है।

निष्कर्ष

एसडीजी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता राष्ट्रीय विकास एजेंडा के साथ इसके अभिसरण में परिलक्षित होती है जैसा कि 'सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबके प्रयास'नीति पहल (समावेशी विकास के लिए सामूहिक प्रयास) के आदर्श वाक्य में परिलक्षित होता है। जोकि सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप हैं। इसलिए भारत के लिए एसडीजी के कार्यान्वयन, निगरानी और प्रगति को मापने के लिए प्रभावी तरीके विकसित करना अनिवार्य है। भारत को यदि एजेंडा 2030 में तय लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो इस तरह की नीति बनानी पड़ेगी जो सभी क्षेत्रों में क्रियान्वित नीतियों से सामंजस्य स्थापित करती हो। साथ ही प्रशासनिक एवं छोटे स्तर पर इन नीतियों के क्रियान्वयन हेतु भागीदारी पर ध्यान देना होगा। गौरतलब है कि हम सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य को वर्ष 2015 तक नहीं प्राप्त कर सके थे तो इसका मुख्य कारण यह था कि इन लक्ष्य को हासिल करने के लिये तय नीतियों का क्रियान्वयन सशक्त नहीं था। सतत विकास के लक्ष्य को यदि हम 2030 तक प्राप्त कर लेते हैं तो भारत एक विकसित तथा समृद्ध राष्ट्र बन सकता है।

यद्यपि सतत विकास लक्ष्य को पाने की दिशा में भारत की रफ्तार काफी धीमी है किंतु इरादे मजबूत हैं और भारत इस दिशा में सकारात्मक प्रयास कर रहा है। फिर भी संपूर्ण विकास के हेतु लोगों की आकांक्षाएँ पूरी करने के लिये पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए राष्ट्रीय, राज्यीय और स्थानीय तीनों स्तरों पर प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। अतः नीति पहल से इस लक्ष्य को हासिल करना हमारे सभी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया भर में सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है ।

ग्रन्थसूची:

1. Report on SDG India Index & Dashboard 2020-21 Partnerships In The Decade Of Action, NITI Aayog, 2021.
2. Somnath, Hazra and Anindya Bhukta. 2020. "Sustainable Development Goals: An Indian Perspective", Springer Cham.
3. N, Anita. 2011. "India′ s progress toward achieving the Millennium development goal", Indian Journal of Community Medicine, Volume 36, Issue 2, Page 85-92.
4. J.D. Sachs. 2012. "From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals", The Lancet, 379, 2206-2211.

[1] https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1577014
[2] https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1723957